श्रीमान् निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव भवन मानचित्र समिति (बीपी) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

विषय: भूखण्ड संख्या अवसरानां २५१० २५१। २५१२ २५११ २५१। प्राप्तर्योजना अल्लाकी कानाफीय केला <u> नजीली द्वाशीयाना " मार्डदाली क्रिक्र</u> पर का भवन निर्माण अनुज्ञा/उपविभार्जन/पुनर्मर्ठन बाबत्

महोदय.

प्रार्थी द्वारा धारित भूखण्ड़ जिसका ब्योरा नीचे दिया हुआ है, पर प्रार्थी भवन निर्माण/उपविभाजन/पुनर्गठन करना चाहता है :-

भूखण्ड संख्या : 2590,2591,2592,2599,2591/4242 योजना का नाम : क्यारियाना " अटन मेही कामारीपाना प्राप्त के विकास के कामारीपाना करें मार्ग जिस पर : साम् रवासी पुकर रोड़ , अफिर स्थित है।

एकीकृत भवन विनियम, 2017 में अपेक्षित निम्न दस्तावेज संलग्न करते हुए निवेदन है कि कृपया मानचित्र का अनुमोदन कर अनुज्ञा/स्वीकृत पत्र जारी करने का श्रम करें :-

_ : संलग्न :-

1. स्थल मानियत्र की अतिकियी

2. भूरवण्ड का पट्टा स्व केंग्लेक्शन डीड की प्रतिविषी 3. भूरवण्ड के फोर्ल शास (इंबल्लप्त इकरा(नाण))

नम्बी मम सांपर काली (बीडी)

5. दानेरक का आयार माम हस्ताहाट् की अतिरामि के भावे 6. तक्तीकिनित्त की अंडर्ट किंग

219 थ पत्र

8. अण्डरटिकिंडा 9. आरिश्री छित्रापत्र

10 , पार्किक सम्बद्धी श्रापपाय

11. 2144 पत्र कावासीय उपमेग्रहेत्

12. constitute of emdetaling for earliquent.

13. अविश्ती वंपपन

प्रार्थी

FOR RANGOLI AASHIYANA LLP

(रासबिहारी शमी)


पार्टनर

रंगोली आशियाना एल.एल.पी.

112, गायत्री नगर-बी, दुर्गापुरा, जयपुर

	\	
रस	ाद	

आज दिनांक 15/3/19 को श्री/श्रीमती/सुश्री हिलागुर्वा ते की प्राप्त पु	त्र /
मही यानि भी	नन
Mukadwall बाबत भीवन निर्माणी की कार्यवाही का जान हतु आवदन-पत्र प्राप्त हुए	आ
दिनांक को एकल खिड़की पर उपस्थित होकर उत्तर की प्रति प्राप्त करें।	
लिपिक एकल खिड् अज़ैमेर विकास प्राधिकरण, अ	्व ना



1. मैं तकनीकीविज्ञ, वास्तुविद् काउंसिल/नगर सुधार न्यास, अजमेर में पंजीकृत हूँ तथा

 मुझे भूखण्ड़ संख्या ₭ № पर्यवेक्षण करने का कार्य मानचित्र तैयार करने एवं भवन के फलस्वरूप दिया गया है।


3. उपरोक्त भूखण्ड़ के लिए मेरे द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप भवन मानचित्र तैयार किये हैं।

4. मेरे द्वारा योजना के ले-आउट का सत्यान कर लिया गया है तथा भूखण्ड व कॉलोनी से संबंधित सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर ली गई है।

भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है:-

हुं :-

ATTESTED 1 4 MAR 2019



श्रीमृति रुचि अरोड़ा रू (स्टाम्प विक्रेब्रा) AMAR 2019, अनुज्ञा पत्र संख्या 24 AoMAR 2019, स्टॉक एक्सचेंज, मालवीय नगर जयपुर। मि. 119/ 6, अग्रवाल फार्म, मानसर्वर, जयपुर

3)	बी.ए.आर. की गणना :-	
	योग्य क्षेत्र	
	भूखण्ड का क्षेत्रफल	Januar
(7)	पार्किंग :-	e de
1	(अ) ख़ुले में	
	(ब) भू-मंजिल पर	
3 1		

(स) आच्छादित पार्किंग (द) बेसमेंट पार्किंग कुल पार्किंग :-

3	OTA
	R K. GUPTA
	Regn. No 3582
8570.6	John OF THE
	••••••

18 CAR+	960500kg

5. भूखण्ड़ का निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा चुका है, इसका भू-उपयोग स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमाकेशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का नाप, आकार, स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप है।

6. योजना प्लान में दर्शायी सडक नगर सुधार न्यास की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्डधारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सडक की चौडाई योजना में दशिय अनुसार उपलब्ध है।

7. यदि भवन निर्माता किन्हीं अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो मैं संबंधित विभाग को 48 घण्टे के अन्दर सूचित करूंगा।

8. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरित कुछ भी पाया जाये या स्थापित जो जाये तो सम्बन्धित विभाग कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिए सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना, मेरे को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल है एवं काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेत् सूचित किया जा सकता है।

9.. प्रस्तुत लीज डीड की शर्तों के अनुसार है तथा लीज डीड के अनुसार जारी की गई निर्माण/नवीनीकरण दिनांक तक वैध है।

10 भवन मानचित्र अजमेर विकास प्राधिकरण (एकीकृत भवन विनियम, 2017) अथवा अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानदण्ड के अनुरूप तैयार किये हैं मानचित्र तैयार करते समय विनियमों की गलत व्याख्या नहीं की गई है। भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों के अनुरूप ही किया जायेगा।

11. प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाऐं/सष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गई है। भूखण्ड़ सड़क की निर्धारित चौडाई या अन्य किसी प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।

ATTESTED

1 4 MAR 2019



12. भवन मानचित्र बनाते समय कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।

ी ह


तकनीकीविज्ञ के हस्ताक्षर

<u>प्रमाणिकता</u>

तकनीकीविज्ञ के हस्ताक्षर

YOTARY PUBLIC

1 4 MAR 2019






Certificate of Undertaking
For Compliance of the Provision of N.B.C. Part-VI
For Earthquake Safety
(to be submitted at the time of approval of building plans)

K.NO Plot No.	25	590	2591	, 2592	,2599,	259)	14242	
Scheme _	٧,	Mak	adval	i hear	er Lowren	ce Mo	rya School, Kadrol, AME	x
Area of th			800	7/1	, am			
Proposed	Heigh	it of the	building	2	70171	- ,		

1. Certified the building plans submitted for approval satisfy the safety requirement at stipulated under building regulation no. 14.15 (ख) and the information given therein is factually correct to the best of my knowledge and undertaking.

1 4 MAR 2019 28090 खुब्धेकी का न्रथाका विवास स्थान.... स्त्रीक खरीवर्ष का खाखब ख्या क्षे सा स्मास्य शीगृति रुचि अरोड़ा * 🛍 🗥 MAR 2019 (स्त्रम्य विशेता) अनुझा पन् संद्या 24/2002 स्टॉक एउनचेज, पालवीय नगर, जयपुर।

ति. 119/ '6, अग्रवाल कार्प, मानसरोवर, जयपुर,



Check List for Building Plan Approval of CMJAY Projects (Flatted Development)

Applicant Name:-

Mr. KAMAL MULCHANDANI & Smt. ANURADHA

Architect Name & Registration no:-

SHRI KRISHAN ,CA/99/25451

Address (I Khasra no./Plot no.

K.NO. 2590 , 2591, 2592, 2599, 2591 / 4242 AT REVENUE VILLAGE:- MAKADWALI NEAR LAWRENCE MAYO SCHOOL, MAKADWALI, AJMER (RAJ.)

Width of Approach road Area (Sq.mt):

30'-0" , 120'-0" 8570.07 sqm

a) Portion of Scheme area proposed EWS /LIG

8570.07 sqm

b)Balance Portion of the Scheme area Proposed for Developer.

N.A.

5.No.	Details	Comments		
1	Size of the Plot (EWS/LIG portion)	8570.07 sqm		
2	Setbacks	_		
		As per Byelaws / CMJAY Policy	As per proposal	
	Front	9.00 m	9.14 m	
	Side I	6.0 m	6.10 m	
	Side II	6.0 m	6.10 m	
	Rear	6.0 m	6.10 m	
3		As per Byelaws/CMJAY Policy	As per proposal	
	GROUND COVERAGE	50%	45.07%	
4	Basement (If Approved)	<u> </u>	·	
	(i) Ramp (Slope)	1:8		
	(ii) Staircase	7 NO. STAI	R	
	(iii)Setbacks	As per Byelaws / CMJAY Policy	As per proposal	
; 	Front	6.0 M	9.14 M	
	Side I	3.0 M	3.0 M	
	Side II	3.0 M	3.0 M	
ı	Rear	3.0 M	3.0 M	
	(iv) Any Other Observation			
		N.A.	N.A.	
5	Height (No.of Floors)	As per Byelaws/CMJAY Policy	As per proposal	
		63.0 M	27.00 M	
6	B.A.R (%)	As per Byelaws/CMJAY Policy	As per proposal	
		3.375	3.43	
7	Super Builtup Area	As per Byelaws/CMJAY Policy	As per proposal	
	(i) E.W.S	30.0 sqm CARPET	44.00 sqm (S.B.A.)	

CA/99/25451 8 41 2019

			29.42 sqm (C.A.)
	(ii) L.I.G (A)	60.0 sqm CARPET	80.47 sqm (S.B.A.)
			59.76 sqm (C.A.)
		· .	78.72 sqm (S.B.A.)
	<u> </u>		59.76 sqm (C.A.)
	(iii) L.I.G (B)	60.0 sqm CARPET	62.90 sqm (\$.B.A.)
			45.73 sqm (C.A.)
			61.15 sqm (\$.B.A.)
			45.73 sqm (C.A.)
8	Parking .	As per Byelaws/CMJAY Policy	As per proposal
		18 CAR	18 CAR
		760 SCOOTER	960 SCOOTER
9	Cut outs/open to sky/Ducts	As per Byelaws/CMJAY Policy	As per proposal
		N. A.	N.A.
10	Projections/Balconies	As per Byelaws/CMJAY Policy	As per proposal
	(Covered/Extended)	N.A.	N.A.
11	Certification of Fire Safety (Final)	REQUIRED	APPLIED
12	Airport NOC (If Required)	REQUIRED	APPLIED
13	Environmental Clearances (If Required)	REQUIRED	APPLIED
14	Certification from structural Engineer		
	(Earthquake Resistant)	AS PER NORMS TO BE PROVIDED	PROVIDED
15	Plantation on Site	15%	15.59%
16	Rain Water Harvesting	AS PER NORMS TO BE PROVIDED	PROVIDED
17	Waste water recycling	AS PER NORMS TO BE PROVIDED	PROVIDED
18	Sewerage Treatment Plant	AS PER NORMS TO BE PROVIDED	PROVIDED
19	Provision for solid waster Disposals	AS PER NORMS TO BE PROVIDED	PROVIDED
20	Provisions for solar Panels /Solar water Heater	AS PER NORMS TO BE PROVIDED	PROVIDED
21	Provision for Physically Challenged Persons	AS PER NORMS TO BE PROVIDED	PROVIDED
22	Any Other Observations	N.A.	N.A.

Based on the above facts, the proposal submitted by **by Mr. KAMAL MULCHANDANI & Smt. ANURADHA**

	& Smt. ANURADHA
Appliacant Name :	Mr. KAMAL MULCHANDANI
permission is Issued to:	
at	(Development Authority / UIT). Hence the construction
The Applicant has deposited the o	charges for Building Plan approval Rs
	s of Building Byelaws and Chief Minister's Jan Awas Yojna -2015.

PROPOSED BUILDING: K.f.

K.NO. 2590 , 2591 , 2592 , 2599 ,2591 / 4242 AT REVENUE VILLAGE :- MAKADWALI NEAR LAWRENCE MAYO SCHOOL , MAKADWALI, AJMER (RAJ.)

AREA (sqmt.) 8570.07 sqm

ARCHITECT :REGISTRATION NO.

SHRI KRISHAN CA / 99 / 25451

> ARCHITECT 8/4/201 CA/99/25451

राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 3(212)नविवि/3/2011

जयपुर, दिनांक **15 MAY** 20**20**

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ख तथा 90-क के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के तहत स्थानीय निकायों द्वारा लीजडीड/पट्टा जारी किये जाते है, उनमें उपरोक्त नियमों के तहत भवन निर्माण निर्धारित समयाविध में किये जाने की शर्त अंकित की जाती है। इसी प्रकार भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 में भवन निर्माण की समय सीमा निधारित की जाती है और भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र में भवन निर्माण की समय सीमा निधारित की जाती है।

कोविड–19 के मद्देनजर सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये पट्टा विलेख/लीज–डीड/भू–उपयोग परिवर्तन आदेश एवं भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित की गई भवन निर्माण की समयाविध को 6 माह बढाया जाता है।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं

खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

(मक्रिष्ठ जोक्कर्ते०) संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपिः-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
- 2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- 3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयुपर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
- आयुक्त, राजस्थान् आवासन् मण्डल, जयपुर।
- 6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
- 7. संयुक्त शासन सिचव, प्रथम/द्वितीय/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- ८. मुख्य नगर नियोजक, राज० जयपुर।
- 9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
- 10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
- 11 वरिष्ठ शासन उप सिचव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

१२. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासून सचिव-प्रथम

REMARK

- 1. Building Plans are valid up to 08.10.2023. This has been calculated considering end date (08.04.2023) as per State Government vide order dated 20/01/2020 plus additional 6 month as per UDH Rajasthan vide its order dated 15.05.2020.
- 2. We had first applied to the local body on 15.03.2019 for construction permission and thereafter we got the maps approved from the Empanelled Architect vide checklist dated 08.04.2019.
- 3. Maps were approved by the Empanelled Architect vide checklist dated 08/04/2019.
- 4. We request you to kindly consider 1^{st} date of approval of building plan as 08/04/2019.